मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम, 2001

अध्याय एक–प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाऐंः–

इन नियमों मे, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1997)
(ख) ''आवेदक'' से अभिप्रेत है आवेदन करने वाला या धारा 17 के अधीन वादपत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति
(ग) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' से अभिप्रेत है जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(घ) अभिव्यक्ति ''परीक्षा या साक्ष्य लेना'' के अन्तर्गत साक्षियों की परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनर्परीक्षा आती है
(ड.) ''प्रारूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप
(च) ''ग्राम न्यायालय'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित किया गया ग्राम न्यायालय
(छ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है ग्राम न्यायालय का सदस्य और उसके अन्तर्गत प्रधान आता है
(ज) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा
(झ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है धारा 13 के अधीन नामनिर्देशित ग्राम न्यायालय का सचिव
(ञ) ''न्यायालय सहायक'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो नियम 50 में विनिर्दिष्ट किया गया हैं
(ट) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुई है तथा परिभाषित नही है, वही अर्थ होगा, जैसा कि उनके लिए अधिनियम में क्रमशः दिया गया हैं.

अध्याय दो–सिविल वादो–राजस्व मामलों का विचारण

3. आवेदन फाइले करने के लिए प्रक्रियाः–

(1) आवेदक द्वारा ग्राम न्यायालय को कोई आवेदन या वादपत्र, दस्तावेजों और साक्षियों की, जिन पर उसका निर्भर होना प्रस्तावित हो, संक्षिप्त में उनके प्रस्तावित कथनो सहित सूची के साथ प्ररूप एक में व्यक्तिशः या जिले के सम्यक्रूप से प्राधिकृत विधिक सहायता अधिकारी द्वारा न्यायालय सहायक को या उसे प्राप्त करने के लिए न्यायालय सहायक द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को पेश किया जाएगा या रजिस्ट्रकृत डाक द्वारा पावती सहित न्यायालय सहायक के पते पर भेजा जाएगा.
(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन या वादपत्र तीन प्रतियों में पेश किया जाएगा.
(3) जहां अनावेदक (नान एप्लीकेंट) की संख्या एक से अधिक हो, वहां आवेदक द्वारा आवेदक/वादपत्र की उतनी अतिरिक्त प्रतियां दी जाएंगी जितने कि अनावेदक होः
परन्तु जहां अनावेदकों की संख्या पांच से अधिक हो, वहां सचिव, आवेदक को, अनावेदकों को सूचना जारी करने के समय आवेदन/वादपत्र की अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेंगा.

4. आवेदन/वादपत्र की प्रस्तुति और छानबीनः–

(1) न्यायाल सहायक, प्रत्येक आवेदन/वादपत्र पर उसकी प्रस्तुति की तारीख पृष्ठांकित करेगा और पृष्टांकन पर हस्ताक्षर करेगा.
(2) यदि छानबीन करने पर पर आवेदन/वादपत्र व्यवस्थित पाया जाए तो उसे यथास्थिति, सिविल मामलों के लिए या राजस्व मामलों के लिए प्ररूप–दो–क मे रजिस्ट्रार में सम्यक रूप से रजिस्टर किया जाएगा और उसे अनुक्रमांक दिया जाएगा.
(3) यदि, छानबीन करने पर आवेदन/वापदपत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाए और जानकारी में आई त्रुटि प्ररूपिक प्रकृति की हो तो न्यायालय सहायक, आवेदक को अपनी उपस्थिति में उसमें सुधार करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ओर यदि उक्त त्रुटि प्ररूपिक प्रकृति की नहीं है, तो न्यायालय सहायक, आवेदक को त्रुटि में सुधार करने के लिए उतना समय अनुज्ञात कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे. सुधार के लिए सात दिन से अधिक का समय नहीं हेागा.
(4) यदि आवेदक, उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञात किये गये समय के भीतर त्रुटियों में सुधार करने में असफल रहता है तो न्यायालय सहायक, आदेश द्वारा और कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन/वादपत्र को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा और तद्नुसार लिखित में आवेदक को सूचित करेगा.

5. आवेदन–फीसः–

न्यायालय सहायक को प्रस्तुत किये गए प्रत्येक आवेदन/वादपत्र के साथ दस रूपए फीस दी जाएगी जो नकद में देय होगी :
परन्तु जहां ग्राम न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि आवेदक/वादपत्र के साथ दस रूपए फीस दी जाएगी जो नकद में देय होगी :
परन्तु जहां ग्राम न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि आवेदक निर्धनता के आधार पर विहित फीस का भुगतान से छूट दे सकेगा.

6. ग्राम न्यायालय द्वारा जारी सूचना तथा आदेशिका की तामीलः–

(1) ग्राम न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली कोई सूचना या आदेशिका की तामील, लिखित में और अनावेदक द्वारा हस्ताक्षरित/अंगूठे का निशान लगी हुई रसीद लेने के पश्चात् कोटवार की मार्फत हाथ से परिदान करके की जा सकेंी.
(2) ग्राम न्यायालय द्वारा जारी प्रत्येक सूचना के साथ, जब तक अन्यथा आदेशित न किया जाए, आवेदन/वादपत्र की एक प्रति होगी.

7. उत्तर फाईल करनाः–

(1) प्रत्येक अनावेदक, जो आवेदन/वादपत्र का प्रतिवाद करने का इच्छुक हो, उस पर आवेदन/वादपत्र की सूचना की तामील की जाने के पन्द्रह दिन के भीतर न्यायालय सहायक को आवेदन/वादपत्र का उत्तर तथा दस्तावेज और साक्षियों की सूची, उनकें संक्षिप्त कथनों सहित, जिन पर वह निर्भर हो, तीन प्रतियों में फाइल करेगा.
(2) अनावेदक, उपनियम (1) के अधीन फाइल किये गये उत्तर मे आवेदक द्वारा उसके आवेदन/वादपत्र में कथित तथ्यों को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार, इन्कार या स्पष्ट करेगा और ऐसे अतिरिक्त तथ्यों को भी कथित कर सकेगा जो मामले के न्यासंगत विनिश्चय के लिए आवश्यक पाए जाएं.
(3) ग्राम न्यायालय, विहित कालावधि समाप्त होने के पश्चात् उत्तर का फाइल किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा.

8. सिविल मामलों में सुनवाईः–

(1) ग्राम न्यायालय राजस्व मामले की सुनवाई के लिए उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता मे राजस्व मामलों के लिए विहित हैं.
(2) ग्राम न्यायालय, सिविल मामलों की सुनवाई पर सर्वप्रथम आवेदक/वादी तथा उसके साक्षियों का परीक्षण करेगा और तत्पश्चात् प्रतिवादी/अनावेदक और उसके साक्षियों का परीक्षण करेगा.

9. आवेदक के व्यक्तिक्रम के लिए आवेदन/वादपत्र पर कार्यवाहीः–

(1) जहां आवेदन/वादपत्र कीसुनवाई के लिए नियत तारीख पर या कोई अन्य तारीख को, जिसको कि ऐसी सुनवाई स्थगित हुई हो, आवेदन/वादपत्र की सुनवाई के लिए पुकारे जाने पर

आवेदक उपसंजात न हो तो ग्राम न्यायालय, स्वविवेक से या तो आवेदन/वादपत्र को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकेगा या उस पर सुनवाई कर सकेगा तथा गुणागुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकेगा या कोई अन्य आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित कर सकेगा.

(2) जहां आवेदन/वादपत्र व्यतिक्रम के लिए खारिज किया गया हो और आवेदक, खारिज किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर एक आवेदन फाइल करता है और ग्राम न्यायालय का समाधान कर देता है कि आवेदन/वादपत्र की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उसके अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण था तो ग्राम न्यायालय, आवेदन/वादपत्र को खारिज किये जाने वाले आदेश को अपास्त करते हुए उसे प्रत्यावर्तित करेगा :

परन्तु मामले के प्रत्यावर्तन के पश्चात् ग्राम न्यायालय, आवेदक का सुनवाई का युक्तियुक अवसर देने के पश्चात् प्रत्यावर्तन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर मामले का विनिश्चय करेगा.

10. एक पक्षीय सुनवाई और आवेदन/वादपत्र का निपटाराः—

(1) जहां आवेदन/वादपत्र की सुनवाई के लिए नीयत तारीख को या किसी अन्य तारीख को जिस तक ऐसी सुनवाई स्थगित की गई हो, आवेदन/वादपत्र की सुनवाई के लिए पुकार होने पर आवेदक उपस्थित हो और अनावेदक उपस्थित नहीं हो तथा यह दर्शित हो कि आवेदन/वादपत्र कीसुनवाई कीसूचना उस पर सम्यक् रूप से तामील हुई है, तो ग्राम न्यायालय स्वविवेक से, सुनवाई स्थगित कर सकेगा या सुनवाई कर सकेगा और आवेदन/वादपत्र का एक पक्षीय विनिश्चय का सकेगा.

(2) जहां आवेदन/वादपत्र की सुनवाई अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय हुई हो, तो ऐसा अनावेदक ऐसे आदेश की जानकारी की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आदेश के अपास्त किये जाने के लिए ग्राम न्यायालय का आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसा अनावेदक ग्राम न्यायालय का यह समाधान कर दे कि सूचना की सम्यक् रूप से तामील नहीं हुई या उसे आवेदन/वादपत्र की सुनवाई की पुकार होने के समय उपस्थित होने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था तो ग्राम न्यायालय उसके विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई को ऐसे निबंधनों पर, जैसे कि वह उचित समझे अपास्त करने का आदेश कर सकेगा तथा आवेदन/वादपत्र पर कार्यवाही के लिए दिन नियत करेगा :

परन्तु मामले के प्रत्यावर्तन के पश्चात् ग्राम न्यायालय आवेदक को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्रत्यावर्तन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर मामले का विनिश्चय करेगा.

11. उपशमन का वर्जनः— किसी वाद या कार्यवाही का, किसी पक्षकार की मृत्यु के कारण उपशमन नहीं होगा, बशर्ते कि किसी पक्षकार की मृत्यु की तारीख से या मृत्यु की जानकारी होने की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर उसके विधिक प्रतिनिधियों में से सभी अथवा कोई विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर ले लिया गया होः

परन्तु ग्राम न्यायालय को पर्याप्त कारण दर्शाने पर विलम्ब के लिए माफी देने की शक्ति होगी.

12. समझौताः—

(1) यदि पक्षकारों के बीच समझौता प्रभावी होता है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा तथा अभिलेख पर लिया जायेगा.

(2) अभिलेख मे निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :—

(क) कार्यवाही का समय और तारीख

(ख) उपस्थित होने वाले पक्षकारों, उनके विधिक प्रतिनिधियों के नाम, यदि कोई हों

(ग) प्रत्येक पक्षकार के मामले का संक्षिप्त विवरण

(घ) समझौते के निबंधन

(ड.) जहां पक्षकार अवयस्क हो या निर्योग्यताधीन व्यक्ति हो, एक विवरण कि क्या ग्राम न्यायालय की राय में समझौता यथास्थिति, अवयस्क या ऐसे व्यक्ति के हित में है :

परन्तु ऐसी दशा में, जब कोई समझौता नहीं होता है तब केवल मद (क), (ख) तथा (ग) और समझौता न होने के तथ्य वर्णित किए जाएंगे.

(3) अभिलेख पक्षकारों के समक्ष पढा जाएगा या उन्हे पढने के लिए दिया जाएगा और यह तथ्य कि वह पढ़ा गया तथा सही होना स्वीकार किया गया, नोट किया जायेगा.

(4) अभिलेख पर पक्षकारों तथा ग्राम न्यायालय के सदस्यों द्वारा यथास्थिति हस्ताक्षर किए जाएंगे या अंगूठे के निशान लगाए जाएंगे.

(5) इस नियम के अधीन सम्यक् रूप से अभिलिखित समझौता पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा.

13. स्वीकृतिः– यदि आवेदक/वादी का दावा प्रतिवादी द्वारा पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाता है तब ग्राम न्यायालय कोई साक्ष्य अभिलिखित नही करेगा तथा प्रतिवादी की स्वीकृति पर आदेश पारित करने के लिये अग्रसर होगा.

14. ग्राम न्यायालय का विनिश्चय तथा उसकी संसूचनाः–

(1) पक्षकारों तथा उनके साक्षियों के परीक्षण तथा स्थल के निरीक्षण द्वारा, यदि आवश्वयक हो, मामले के तथ्यों को अभिनिश्चित करने क पश्चात्, ग्राम न्यायालय अपने विनिश्चय के आधारों को दर्शात हुए एक संक्षिप्त आदेश अभिलिखित करेगा और विनिश्चय की संसूचना संबंधित आवेदक तथा अनावेदक को देगा. विनिश्चय के समय उपस्थित पक्षकारो के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिलेख में अभिप्राप्त किए जाएंगे. आदेश के सार को भी प्रविष्टि सिविल मामलों के रजिस्टार मे की जाएगी

(2) ग्राम न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश या अभिलिखित विनिश्चय पर तारीख लिखी जाएगी तथा प्रत्येक सदस्य, जिसमें ग्राम न्यायालय का प्रधान भी सम्मिलित है, द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे

15. ब्याज तथा किस्तेः–

(1) ग्राम न्यायालय अंतिम आदेश या विनिश्चय तारीख से भुगतान होने तक बारह प्रतिशत वार्षिक से अनाधिक की दर से आदेशित रकम पर ब्याज का अधिनिर्णय दे सकेगा.

(2) ग्राम न्यायालय आदेश पारित करते समय आदेशित रकम का भुगतान छह मास से अनाधिक कालावधि के लिए मुल्तवी करने का या मासिक किस्तों में किये जाने का निर्देश दे सकेगा.

16. प्रतिवाद को प्रतिकरात्मक खर्च यदि ग्राम न्यायालय का यह समाधान हो जाता हे कि कोई वाद जो उसके सक्षम लाया गया है मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाला है तो वादी को आदेशित कर सकेगा कि वह प्रतिवादी को प्रतिकर के रूप में 100 रूपये से अनधिक ऐसे खर्च का भुगतान करे जैसा कि वह उचित समझे.

17. ग्राम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का निष्पादनः–

(1) किसी ग्राम न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को इसे परित करने की अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री समझा जाएगा ओर इसका निष्पादन उसी रीति में किया जाएगा जिसमें कि उस डिक्री के निष्पादन की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा वह निष्पादित की जाती है.

(2) ऐसे आदेश का निष्पादन ग्राम न्यायालय द्वारा विरोधी पक्षकार को सूचना देने के पश्चात् किया जाएगा. यदि निष्पादन संभव नहीं हे तो ग्राम न्यायालय आदेश/मामले को समक्ष अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को भेजेगा.

अध्याय–तीन–आपराधिक मामलों का विचारण

18. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक मामलों का संस्थित किया जानाः–

(1) कोई भी व्यक्ति, जो ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य आपराधिक मामले को संस्थित करना चाहता हो, लिखित में, प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में सचिव को, प्ररूप–तीन में परिवाद करेगा.

(2) जैस ही ऐसा परिवाद पांच रूपये की आवश्यक फीस के साथ प्राप्त हो जाता है, तो यदि परिवाद लिखित में है तो वह प्ररूप–चार में मामले के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा.

(3) प्रधान/सचिव, परिवाद की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा तथा उक्त तारीख की सूचना परिवादी तथा अभियुक्त को देगा.

19. आपराधिक मामलों में प्रक्रियाः– अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ग्राम न्यायालय, आपराधिक मामलों के विचारण में संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करेगा.

20. परिवाद का खारिज किया जानाः–

(1) यदि ग्राम न्यायालय को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि परिवाद पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज करेगा.
(2) यदि ग्राम न्यायालय को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि उसे अपराध के विचारण की अधिकारिता नहीं है तो वह परिवाद को, परिवादी को वापस कर देगा.
21. अभियोजन के अभाव के कारण परिवाद का खारिज किया जानाः– यदि परिवादी सुनवाई के लिए नियम तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है अथवा यदि ग्राम न्यायालय की राय में परिवादी ने परिवाद के संबंध में आगे कार्यवाही करने मे उपेक्षा प्रदर्शित की है तो ग्राम न्यायालय, परिवाद को खारिज कर सकेगा.

22. परिवाद का प्रत्यावर्तनः–

यदि परिवाद के खारिज किए जाने की तारीख 30 दिनों के भीतर परिवादी, ग्राम न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसकी अनुपस्थिति कुछ अपरिहार्य कारण से थी तथा वह उपेक्षा नही कर रहा था तो ग्राम न्यायालय कार्यवाहियों का प्रत्यावर्तन कर सकेगा किन्तु ऐसा प्रत्यावर्तन को सूचना दिए बिना नही किया जाएगा, यदि खारिजी का आदेश अभियुक्त के ग्राम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाने के पश्चात् पारित किया गया था.

23. प्रक्रिया जहां अभियुक्त पाया न जा सका हो अथवा उपस्थित होने में असफल रहा होः–

यदि सुनवाई के लिए नियम तारीख को अभियुक्त पाया न जा सका हो अथवा उपस्थित होने में असफल रहा हो तो ग्राम न्यायालय निकटतम मजिस्ट्रेट को, जो उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखता हो, तथ्य की रिर्पोट करेगा.

24. ग्राम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की हाजिरी मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित किया जानाः–

(1) तदुपरि मजिस्ट्रेट, अभियुक्त की गिरप्तारी के लिए वांरट (जमानतीय या अजमानतीय) जारी करेगा और वांरट पर पृष्टांकन द्वारा निर्देश देगा कि यदि उसके समक्ष ऐसा व्यक्ति उसकी हाजिरी के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उपबंधित रीति में एक बंधपत्र पर्याप्त प्रतिभूओं के साथ निष्पादित करता है तो उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त कर दिया जाएगा.
(2) जब अभियुक्त, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो तो वह अभियुक्त को यह निदेश देगा कि वह ग्राम न्यायालय के समक्ष ऐसी तारीख को, जैसा कि वह निदेश दे, उपस्थित होने के लिए और ग्राम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए और ग्राम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहने के लिए, जैसा कि उसके द्वारा निदेशित किया जाए, प्रतिभूओं सहित या उनके बिना एक बंधपत्र निष्पादित करें.
(3) ऐसा बंधपत्र निष्पादित करने में उसके असफल रहने पर मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि अभियुक्त को ऐसी तारीख को, जैसा कि वह निदेश दे, ग्राम न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा में पेश किया जाए.

25. प्रक्रिया जहां अभियुक्त बंधपत्र के निष्पादन के पश्चात् उपस्थित होने में असफल रहता हैंः–

यदि कोई अभियुक्त नियम 24 के उपनियम (2) के अधीन बंधपत्र के निष्पादन के पश्चात् ग्राम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहे तो ग्राम मजिस्ट्रेट को, जिसके समक्ष बंधपत्र निष्पादित किया गया था, तथ्य की रिपोर्ट करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा.
26. अभियोग का सार कथित किया जानाः–

जब अभियुक्त ग्राम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो अथवा लाया जाए तो उसे उस अपराध की, जिसके लिए वह अभियुक्त है, विशिष्टयां कथित की जाएंगी और उससे कहा जाएगा कि क्यो न उसे दोषसिद्ध किया जाए.

27. अभियोग की सत्यता की स्वीकृति पर दोषीसिद्धि :–

(1) यदि अभियुक्त स्वीकार करता है उसने वह अपराध किया है, जिसका कि वह अभियुक्त है, तो उसकी स्वीकृति यथासंभव उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों में लेखबद्ध की जाएगी और ग्राम न्यायालय तद्नुसार उसे दोषसिद्ध कर सकेगा.
(2) यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नही करता है और यदि अपराध शमनीय है तो ग्राम न्यायालय पक्षकारो के बीच समझौते के लिए प्रयास करेगा. तदुपरि या अन्यथा यदि विचारण के किसी भी प्रक्रम पर न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि अपराध का विधिपूर्वक शमन कर लिया गया है तो वह उसे लेखबद्ध करेगा और अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा.

28. प्रकिया जब ऐसी स्वीकृति नहीं की जाएंः—

(1) यदि ग्राम न्यायालय नियम 27 के अधीन अभियुक्त को सिद्धदोष नही करता यदि अभियुक्त ऐसी स्वीकृति नही करता, ग्राम न्यायालय, परिवादी को, यदि कोई हो, सुनने की कार्यवाही करेगा और ऐसे सभी साक्ष्य लेगा जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जाएं तथा अभियुक्त को भी सुनेगा और वह ऐसे सभी साक्ष्य लेगा जो कि वह अपने बचाव में प्रस्तुत करें.
(2) परिवादी या अभियुक्त अपने स्वयं के साक्षियों को पेश करेगा, जब ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, ग्राम न्यायालय, अपने विवेक से, दो रूपये की आदेशिका फीस के संदाय पर साक्षियों को समन जारी कर सकेगा.

29. विचारण के लंबित रहते संपत्ति की अभिरक्षा तथा व्ययनः—

(1) जब यह प्रतीत हो कि कोई सम्मति किसी अपराध के किए जाने में उपयोग में लाई गई है अथवा किसी अपराध की विषयवस्तु है, ग्राम न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पेश की गई है तो ग्राम न्यायालय, विचारण की समाप्ति के लंबित रहने तक ऐसी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे और यदि संपत्ति शीघ्र अथवा प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली है अथवा ऐसा करना अन्यथा समीचीन है तो वह ऐसा साक्ष्य, जैसा कि वह आवश्यक समझे, लेखबद्ध करने के पश्चात् इसका विकय करने अथवा अन्यथा व्ययन करने का आदेश दे सकेगा.
(2) विचारण की समाप्ति पर ग्राम न्यायालय किसी सम्पत्ति या दस्वावेज को, जो उसके समक्ष पेश किए गए हों या उसकी अभिरक्षा में हों या जिनके बार में कोई अपराध किया जाना प्रतीत हो या जिनको किसी अपराध के किए जाने में उपयोग में लिया गया हो, नष्ट करके, अधिहरण करके या उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का`परिदान करके या अन्यथा व्ययन के लिए ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगा.

30. विनिश्चय तथा उसकी संसूचनाः—

(1) ग्राम न्यायालय, आवेदक तथा साक्षियों के परीक्षण, स्थल के निरीक्षण, यदि आवश्यक हो और उसके (अभियुक्त के) विरूद्ध उपस्थित परिस्थितयों को स्पष्ट करने के लिए अभियुक्त को, यदि आवश्यक हो, और उसके द्वारा पेश सक्षियों के परीक्षण द्वारा मामले के तथ्यों के अभिनिश्चयन के पश्चात् अपने विनिश्चय के लिये आधारों को दर्शात हुए एक संक्षिप्त आदेश अभिलिखित करेगा और संबंधित आवेदक तथा अनावेदक को विनिश्चय संसूचित करेगा. विनिश्चय के समय उपस्थित पक्षकारों से हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान अभिलेख पर अभिप्रावृष्ट किए जांएगे. विनिश्चय का सार आपराधिक मामलों के रजिस्टर मे दर्ज किया जाएगा.
(2) ग्राम न्यायालय द्वारा अभिलिखित प्रत्येक आदेश या विनिश्चय दिनांकित होगा तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित भी होगा.

31. दोषसिद्ध या दोषमुक्त व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण न किया जायः—
कोई ग्राम न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी ऐसे अपराध के लिए विचारण नही करेगा जिसका किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अथवा अन्य ग्राम न्यायालय द्वारा पहले ही विचारण कर लिया गया हो, तथा जो उस अपराध के लिये दोषसिद्धि या दोषमुक्त किया गया हो, जब कि ऐसी दोषसिद्ध या दोषमुक्ति प्रवृत्त हो.

32. भर्त्सना के पश्चात् अपराधी को क्षमा करने की शक्तिः—

जब कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे दोषी पाने वाला ग्राम न्यायालय, अपराध की प्रकृति तथा अपराधी के चरित्र या पूर्ववृत्त को सम्मिलित करते हुए मामले की परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझे, अपराधी को जुर्माने का दण्डावेश देने के बजाए, सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् उसे क्षमा कर सकेगा.

33. जुर्माना या प्रतिकर या फीस की रकमः— ग्राम न्यायालय द्वारा प्राप्त जुर्माना प्रतिकर या फीस की रकम की प्रविष्टि, प्ररूप—पांच में रखे जाने वाले रजिस्टर में की जाएगी.

अध्याय—चार—सामान्य प्रक्रिया

34. समय तथा स्थान जहां ग्राम न्यायालय की बैठक होगीः—

प्रत्येक ग्राम न्यायालय की उस स्थान पर, जहां ग्राम न्यायालय का कार्यालय स्थित है या वृत्त के भीतर किसी अन्य स्थान पर, जैसा कि ग्राम न्यायालय उचित समझे, पूर्वान्ह 10:30 बजे से अपरान्ह 5:30 बजे तक, 1:30 बजे अपराह से 2:30 बजे अपराह तक विश्रान्ति सहित बैठक होगी.

35. ग्राम न्यायालय की बैठकः—

ग्राम न्यायालय की एक सप्ताह में कम से कम दो बैठक होगी.

36. ग्राम न्यायालय की भाषाः—

ग्राम न्यायालय की भाषा हिन्दी होगी. कार्यवाहियां हिन्दी में संचालित की जाएंगी और अभिलेख हिन्दी में रखे जाएंगे.

37. मुद्रा और संप्रतीकः—

ग्राम न्यायालय की कार्यालयीन मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें.

38. सदस्य का प्रशिक्षणः—

कलेक्टर, ग्राम न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया के संबंध में ग्राम न्यायालय के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए प्रबंध करेगा.

39. कर्मचारिवृद्ध लोक सेवक होंगेः—

ग्राम न्यायालय का न्यायालय सहायक तथा अन्य कर्मचारीवृन्द, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

40. ग्राम न्यायालय के प्रारंभ की तारीखः—

(1) ग्राम न्यायालय के सदस्यों के प्रशिक्षण के पूर्व होने के तुरंत पश्चात् और ग्राम न्यायालय के प्रारंभ होने तथा काम करने की तारीख कलेक्टर द्वारा अधिसूचित की जाएगी. इस प्रकार अधिसूचित तारीख के पश्चात् सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम न्यायालय को, अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट सिविल, आपराधिक तथा राजस्व मामलों के विचारण की अनन्य अधिकारिता होगी.

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना के ठीक पूर्व लंबित सभी मामले, संबंधित न्यायालयो ंद्वारा न्यायनिर्णीत होंगे.

41. वादों का ग्रहण नही किया जानाः—

कोई ग्राम न्यायालय किसी ऐसे विषय के संबंध में किसी वाद का, जो विनिश्चय के लिए लंबित है या जिसकी उन्ही पक्षकारों के बीच या उनके बीच जिसके अधीन वे दावा कर रहे है, किसी पूर्व बाद में अन्य ग्राम न्यायालय द्वारा या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनवाई हो गई हैं या जिसके संबंध में विनिश्चय हो गया है विचारण नहीं करेगा.

42. प्रमाणित प्रतियों का प्रदाय :—

ग्राम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति परिवादी तथा अभियुक्त को उनके द्वारा मांग की जाने पर और रूपये 2/—(दो रूपये) प्रति पृष्ठ की फीस का भुगतान किये जाने पर दी जाएगी.

43. न्यायलयों की अधिकारिता का अपवर्जनः—

अधिनियम में उपबंधित के सिवाय, कोई सिविल, दांडिक अथवा राजस्व न्यायालय किसी ऐसी मामले का विचारण नही करेगा या किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नही करेगा जो किसी ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, जिसके संबंध में नियम 40 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है.

44. कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के काण कार्यवाहियों का अविधिमान्य नही होना

ग्राम न्यायालय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्त के विद्यमान होने के कारण या इसके गठन में किसी त्रुटि के कारण या इसकी कार्यवाहियों के संचालन में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी.

45. अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रतियों का देनाः—

इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम न्यायालय का अभिलेख, किसी व्यक्ति द्वारा रू. 2.00 (रू. दो) प्रति मामला फीस का संदाय करने पर निरीक्षण के लिये खुला रहेगा तथा उसकी प्रमाणित प्रतियां किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए आवेदन करने पर और रू. 2.00 (रू. दो) प्रति पृष्ठ फीस का भुगतान करने पर दी जाएगी.

46. कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होगीः—

ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 193 तथा 228 के अर्थ के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी.

47. शिथिल करने की शक्तिः—

यदि किसी क्षेत्र में जिसे राज्य शासन अधिसूचना द्वारा घोषित करे, अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त सदस्य उपलब्ध न हों तो यथास्थिति, जनपद पंचायत या राज्य सरकार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता की शर्त शिथिल कर सकेगी.

48. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षणः—

(1) ग्राम न्यायालय के सदस्यों या ग्राम न्यायालय के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरूद्ध उसके द्वारा किए गए किसी आदेश को निष्पादित करने के लिए या की गई किसी ऐसी बात के बारे में, जो ऐसे सदस्यों, अधिकारी या व्यक्ति द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या

की जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी.
(2) न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (1850 का सं. 18) तथा न्यायाधीश (सरंक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 59) के उपबंध ग्राम न्यायालय के सदस्यों को उनके पदीय कर्त्तव्यों के निवर्हन मे उसी प्रकार लागू होगे, जिस प्रकार वे न्यायाधीशों तथा मजिस्ट्रेटों को लागू होते हैं.

49. ग्राम न्यायालय का सम्मिलनः—

(1) किसी ग्राम न्यायालय में प्रत्येक कार्यवाही इस निमित बुलाये गये किसी सम्मिलन में संचालित की जाएगी गणपूर्ति तीन सदस्यों से मिलकर होंगी.
(2) किसी ग्राम न्यायालय के सम्मिलन के प्रारभ होने पर न्यायालय सहायक, ग्राम न्यायालय की जानकारी में उस सम्मिलन में सुनवाई के लिए नियत मामलों के अभिलेख लायेगा.
(3) प्रधान, सचिव या कोई सदस्य किसी ऐसे मामले या अन्य कार्यवाही में भाग नही लेगा जिसमें वह या उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार, नियोक्ता, कर्मचारी या उसके व्यवसाय का भागीदार, एक पक्षकार हो अथवा जिसमें इनमें से कोई वैयक्तिक रूप से हितबद्ध हो.

स्पष्टीकरणः— इस उप नियम के प्रयोजन के लिये अभिव्यक्ति ''नजदीकी रिश्तेदार'' से अभिप्रेत है पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ससुर, सा, साला, साली, दामाद, पुत्र—बधू.
(4) किसी ग्राम न्यायालय के समक्ष किसी वाद या दाण्डिक कार्यवाही में कोई पक्षकार, उसके किसी सदस्य का इस आधार पर आक्षेप करता है कि वह किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्यक्षतः तथा वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है और सदस्य तदुपरि, ग्राम न्यायालय से नही हटता है तो आक्षेप के आधारों तथा सदस्य के बने रहने के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा.

अध्याय —पांच—ग्राम न्यायालय का न्यायालय सहायक तथा उसकी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य

50. ग्राम न्यायालय का सहायकः—

(1) ग्राम पंचायत का सचिव, जहां ग्राम न्यायालय स्थित है, ग्राम न्यायालय सहायक के रूप मे कार्य करेगा, जिसे समय—समय पर, राज्य सरकार द्वारा नियत मानदेय का संदाय किया जाएगा
(2) किसी ग्राम न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि फीस के रूप में वसूल की गई फीस में से आधी रकम, उस ग्राम न्यायालय के न्यायालय सहायक को पारिश्रमिक के रूप में देय होगी,
(3) ग्राम न्यायालय के न्यायालय सहायक की अभिरक्षा में ग्राम न्यायालय के अभिलेख तथा ग्राम न्यायालय की मुद्रा होगी.

51. न्यायालय सहायक की अतिरिक्त शक्तियां तथा कर्तव्यः—

इन नियमों में प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, न्यायालय सहायक की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगेः—
(एक) समस्त आवेदन / वापदपत्र प्राप्त करना;
(दो) आवेदन / वादपत्र की छानबीन से उद्भूत हुए समस्त प्रश्नों को उनके रजिस्ट्रीकरण से पूर्व विनिश्चित करना
(तीन) कार्यवाही के पक्षकारों को दस्तावेजो को प्रतियां प्रदाय किए जाने के लिए आदेश देना;
(चार) सूचना की तामील या अन्य कार्यवाहियों सें संबंधित समस्त मामलों को निपटाना
(पांच) आवेदन / वादपत्र के लंबित रहने के दौरान मृत पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन के लिए, मृत्यु की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन प्राप्त करना ;
(छह) प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करना तथा उनका निपटारा करना, सिवाय उसके जहां प्रतिस्थापन में किसी आदेश का अपास्त किया जाना या उपशमन अंतर्वलित हैं;
(सात) ग्राम न्यायालय के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए इजाजत प्रदान करना;
(आठ) दस्तावेजों की वापसी के लिए पक्षकारों द्वारा आवेदनों को प्राप्त करना तथा उनका

निपटारा करना.

अध्याय–छह–सदस्य का नामनिर्देशन तथा प्रधान का निर्वाचन

52. सदस्य का नाम निर्देशनः–

(1) जनपद पंचायत ऐसे सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगी जिनके पास अधिनियम की धारा 6 के अधीन विहित अर्हता है. इस प्रकार दिए गए नामनिर्देशन की संसूचना राज्य सरकार को दी जाएगी. इस प्रकार प्राप्त किए गए नामनिर्देशनों की परीक्षा की जाएगी और यह पाया जाता है कि इस प्रकार नामनिर्देशन किए जाने वाले अर्हित व्यक्तियों की बावत् नामनिर्देशन उचित रूप से किया गया है तो इसका अनुमोदन संबंधित जनपद पंचायत को संसूचित किया जाएगा. तत्पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियम 53 में यथा उपबंधित सम्मिलन बुलाएगा.
(2) उस दशा में, जब जनपद पंचायत, अधिनियम की धारा 5 के अधीन सदस्यों का नाम निर्देशित करने में असफल रहती है तो राज्य सरकार, ग्राम न्यायालय के सदस्यों को उन नामों के, नाम कलेक्टर द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से भेजी गई रिक्तियों की संख्या के तीन गुने से अधिक नही होगे, पैनल में से नाम निदेशित करेगी.
(3) ग्राम न्यायालय के सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु जनपद पंचायत के मुख्य कार्यापालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत के सभी सदस्यों को सात दिवस पूर्व की अग्रिम लिखित सूचना देने हुए सभा आयोजित की जायेगी. सभा में उपस्थित सदस्यों में से किसी भी सदस्य द्वारा ग्राम न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 5 व 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत नाम निर्देशन किये जाने वाले सदस्य के नाम का प्रस्ताव किया जायेगा तथा उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त सदस्य के नाम का अनुमोदन किया जायेगा. यदि सभा के सदस्यों के मध्य किसी सदस्य के नाम निर्देशन किये जाने में सहमति नही है तो इस संबंध में कार्यवाही विवरण पुस्तिका में उल्लेख किया जायेगा तथा उक्त किया जायेगा तथा उक्त सदस्य का नाम निर्देशन नहीं किया जायेगा.
(4) यदि राज्य शासन को यह समाधान हो जाता है कि जनपद पंचायत द्वारा किसी ग्राम न्यायालय के लिए नाम निर्देशित किये गये सदस्यों की कार्यवाही अधिनियम की धारा 5, 6 व 7 के प्रावधानों के विपरीत है अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर कार्यवाही का विधि विरूद्ध होना या दूषित होना पाया जाता हे तो उस स्थिति में राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ऐसे नाम निर्देशन की कार्यवाही को अपास्त कर देगा व उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगी.

53. निर्वाचन के लिए सम्मिलनः–

जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्राम न्यायालय के सदस्यों के नामनिर्देशन की तारीख पन्द्रह दिन के भीतर, समस्त नामनिर्देशित सदस्यों का, एक सदस्य को ग्राम न्यायालय के प्रधान के लिए निर्वाचित किये जाने के प्रयोजन के लिए एक सम्मिलन बुलाएगा.

54. सम्मिलन की सूचनाः–

(1) नियम 53 के अधीन सम्मिलन की सूचना, तारीख तथा समय विनिर्दिष्ट करते हुए, संबंधित प्रत्येक सदस्य को सम्मिलन की तारीख से कम से कम ठीक तीन दिन पूर्व लिखित में दी जायेगी.
(2) सम्मिलन की अध्यक्षता जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जायेगी.

55. प्रधान के निर्वाचन के लिए सदस्यों द्वारा नामनिर्देशनः–

(1) प्रधान के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए किसी सदस्य का नाम इन नियमों से संलग्न

प्ररूप छह में एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित और दूसरे द्वारा समर्थित किया जाएगा. मुख्य कार्यपालक अधिकारी सम्यक् रूप से प्रस्तावित तथा समर्थित सदस्यों के नाम लेखबद्ध करेगा.
(2) यदि केवल एक ही सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जाता है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे सदस्य को प्रधान के रूप में तथा निर्वाचित घोषित करेगा.
(3) यदि प्रस्तावित किए गए नाम एक से अधिक हो, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी निर्वाचन कराने की कार्यवाही करेगा.
(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण देगा और सदस्यों को मतदान की रीति स्पष्ट करेगा.
(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र प्रदान करेगा जिस पर निर्वाचन लडने वाले समस्त अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी में लिखे जायेगे जो प्ररूप–सात में होगा.
(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मतपत्र प्रदान करने के पूर्व प्रत्येक मतपत्र पर हस्ताक्षर करेगा ताकि उसकी प्रमाणिकता उपदर्शित हो सके. प्रत्येक सदस्य मतपत्र प्राप्त होने पर मतदान के लिए पृथक रखे गये स्थान पर अग्रसर होगा तथा वहां उस अभ्यर्थी के नाम के सामने, जिसे वह अपना मत देना चाहता हो, मतपत्र मे ;ग्द्ध का चिन्ह लगायेगा. उसके पश्चात् वह मतपत्र को मोडेगा ताकि गोपनीयता बनी रहे तथा उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास जमा करेगा. मतदान समाप्त होने के ठीक पश्चात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की गणना करेगा तथा परिणाम पत्रक में उसकी कुल संख्या को अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् उस अभ्यर्थी का, प्रधान के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित होना घोषित करेगा जिसने सबसे अधिक संख्या में मत प्राप्त किये हों.
(7) प्रधान के निर्वाचन से व्यथित कोई पक्षकार कलेक्टर के समक्ष तीस दिन की कालावधि के भीतर याचिका दाखिल कर सकेगा, जो पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् याचिका का विनिश्चय करेगा.
(8) कलेक्टर के विनिश्चय के विरूद्ध पुनरीक्षण तीस दिन की कालावधि के भीतर जिला न्यायाधीश को होगा.

56. प्रधान का त्यागपत्रः–

प्रधान, जनपद पंचयात के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखित में उस आशय की सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास का अवसान हो जाने पर प्रभावी होगा.

57. प्रधान तथा सदस्यों का हटाया जानाः–

राज्य सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह करना उचित समझे, भ्रष्टाचार, कर्तव्य की उपेक्षा, सम्मिलनों से निरन्तर अनुपस्थित रहने, नैतिक अद्यमता या किसी अन्य पर्याप्त कारण से प्रधान तथा अन्य सदस्यो ंको किसी भी समय हटा सकेगी.

58. प्रधान के कृत्यः– (1) प्रधान, ग्राम न्यायालय के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.
(2) प्रधान, ग्राम न्यायालय के विनिश्चय (निर्णय) की घोषणा करेगा.

अध्याय–सात–सदस्यों को मानदेय, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता

59. सदस्यो का मानदेयः– सदस्य, ऐसे मानदेय के हकदार होगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए

अध्याय–आठ–प्रकीर्ण

60. सुनवाई का स्थगनः–

प्रधान, यदि कार्यवाहियां के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है तो पक्षकारों को समय दे सकेगा और आवेदन या वादपत्र या परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा.

61. आदेश हस्ताक्षरित और दिनांकित होगाः–

ग्राम न्यायालय की प्रत्येक कार्यवाही लिखित में होगी और उपस्थित प्रधान एवं सदस्यों द्वारा हस्ताक्षित तथा दिनांकित होगी.

62. संक्षिप्त कथन अभिलिखित किए जाएंगेः–
ग्राम न्यायालय, साक्षियो ंके लंबे कथन नहीं लेगा. केवल संक्षिप्त कथन अभिलिखित किए जाएगे.

63. दस्तावेजों का लौटाया जानाः–

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज, यदि कोई हों पर विचार किया जायेगा और ग्राम न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा होने के तुरन्त पश्चात् उसे पेश करने वाले पक्षकार को लौटाया जाएगा. यदि ग्राम न्यायालय का प्रधान यह महसूस करता हैं कि किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया कोइ्र दस्तावेज विवाद का आधार है तो ऐसा दस्तावेज पक्षकार को उसके आवेदन पर उसकी सत्य प्रति प्रस्तुत कर देने के पश्चात् लौटा दिया जाएगा.

64. प्रति परीक्षाः–

प्रत्येक पक्षकार को अभियुक्त को छोडकर दूसरे पक्षकार और उनके साथियों से उनके परीक्षण के शीघ्र पश्चात् प्रति परीक्षा के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

65. समन या सूचनाओं का जारी किया जानाः–

ग्राम न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन या, प्ररूप–आठ में होगी और ग्राम न्यायालय की मुद्रा सहित न्यायालय सहायक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी. इसमें वह समय, तारीख, स्थान, जहां पर व्यक्ति के उपस्थित होने की अपेक्षा की जाए और यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि उसकी उपस्थिति अभियुक्त, प्रतिवादी, अनावेदक या साक्षी किस रूप में अपेक्षित है. इसमें यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि क्या इसका प्रयोजन साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए है.

66. फीस की वसूलीः–

यदि समन या सूचना पक्षकार के अनुरोध पर तामील की जानी हो, तो गाम न्यायालय, प्रति समन या सूचना के लिए उस पक्षकार से रू. 2.00 (दो रूपया) फीस वसूल करेगा. फीस को ग्राम न्यायालय निधि में जमा किया जाएगा. संदाय की रसीद प्ररूप–नौ में दी जाएगी.

67. समन या सूचना की तामीलः–

(1) प्रत्येक समन या सूचना की तामील, ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर कोटवार या ग्राम न्यायालय के किसी सेवक द्वारा मामूली तौर से की जाएगी. जहां ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति पर समन या सूचना की तामील की जानी हे तो उसकी तामील, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित नियमों के अनुसार की

जाएगी.
(2) समन के लिए, उसकी तामील करने के पश्चात् वसूल की गई फीस में से एक रूपया प्रति समन, यथास्थिति, कोटवार या ग्राम न्यायालय के सेवक को परिश्रमिक के तौर पर भुगतान किया जाएगा.

68. समन या सूचना तामील करने की रीतिः—

किसी व्यक्ति पर समन या सूचना की तामील उसे समय या सूचना का परिदान करके या निविदान करके की जाएगी. समन या सूचना दो प्रतियों में भेजी जाएगी. उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रमाण स्वरूप दूसरी प्रति के पीछे की ओर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा. यदि संबंधित व्यक्ति पाया न जा सके तो समन या सूचना की तामील, कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उसकी दूसरी प्रतियों में से एक प्रति को उसके लिए छोडकर की जाएगी जो उसकी प्राप्ति के प्रमाणस्वरूप दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा. यदि उपरोक्त वर्णित रीति में तामील नहीं की जा सके तो तामील करने वाला कर्मचारी, समन या सूचना की दूसरी प्रतियां में से एक प्रति को कम से कम दो साक्षियों की उपस्थिति में, जिनके हस्ताक्षर आदेशिका की दूसरी प्रति में अभिप्राप्त किए जांएगे, मकान के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाएगा जिसमें समन किया गया या सूचित किया गया व्यक्ति मामूली तौर से निवास करता है.

69. अधिकारिता के बाहर के किसी आपराधिक या सिविल मामले में समन या सूचना तामील करने की रीतिः—

यदि वह व्यक्ति, जिस पर समन या सूचना की तामील की जानी हे, ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर निवास करता है तो ग्राम न्यायालय यथास्थिति, समन या सूचना उस ग्राम न्यायालय को डाक द्वारा या अन्य किसी तरह से भेजेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वह व्यक्ति निवास करता हें, जिस पर तामील की जानी हे और उसे प्राप्त करने वाला ग्राम न्यायालय, उसे वैसे ही तामील करवायेगा, मानो कि ऐसा समन या सूचना, उसी ग्राम न्यायालय द्वारा जारी की गई हो और उसकी दूसरी प्रति को उसे जारी करने वाले ग्राम न्यायालय को तामील के पश्चात् लौटा देगा. डाक प्रभार संबंधित पक्षकार द्वारा वहन किए जांएगे.

70. साक्षियों के व्ययः—

यदि किसी सिविल या आपराधिक मामले में समन किया गया व्यक्ति कोई साक्षी है, भले ही वह समन जारी करने वाले ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर या बाहर निवास कर रहा हो, तो ग्राम न्यायालय उस व्यक्ति से, जिसके अनुरोध पर समन जारी किया जाना हे, यह अपेक्षा करेगा कि समन या सूचना जारी करने के पूर्व विहित की गई आदेशिका फीस के अतिरिक्त साक्षी को देय आहार संबंधी धनराशि जमा करें. आहार संबंधी धन राशि समन पर लिखी होगी और साक्षी को उसकी उपस्थिति पर संदत्त की जाएगी. आहार संबंधी धनराशि वही होगी जो उसी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालयो हेतु उपबंधित हैं.

71. समन या सूचना प्राप्त करने और हस्ताक्षर करने से इंकार करने की दशा में प्रक्रियाः—

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर इन नियमों के अनुसार समन या सूचना तामील की जानी है, यथास्थिति समन या सूचना को प्राप्त करने और हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उस पर कारण बताओं सूचना की तामील की जाएगी कि क्यों न भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 173 के अधीन परिवाद सक्षम न्यायालय में किया जाए.
(2) यदि सूचना के उत्तर में सूचना प्राप्त करने वाले द्वारा सूचना में पर्याप्त कारण दर्शित किये जाते है तो ग्राम न्यायालय सूचना का उन्मोचन कर सकेगा.
(3) यदि सूचना के उत्तर में सूचना प्राप्त करने वाले द्वारा सूचना में पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किये जाते हैं या सूचना ग्रहण करने से इंकार किया जाता है तो ग्राम न्यायालय, सूचना प्राप्त करने वाले के विरूद्ध विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगा.
(4) यदि व्यक्ति, यथास्थिति, सूचना या समन का अनुपालन नहीं करता है या वह ग्राम

न्यायालय में उपस्थिति नही होता है तो ग्राम न्यायालय, निकटतम पुलिस थाने में भी आवश्यक अध्यपेक्षा उस व्यक्ति को ग्राम न्यायालय के समक्ष ऐसी तारीख तथा समय पर पेश करने के लिए भेजगा, जैसा कि अध्यपेशा में दर्शाया जाए
(5) संबंधित पुलिस थाने के थाना अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति को, अध्यपेक्षा के अनुपालन में संबंधित ग्राम न्यायालय के समक्ष पेश कराए,

72. ग्राम न्यायालय का विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाएगाः—

ग्राम न्यायालय का कोई विनिश्चिय, यदि वह एकमत का नहीं है तो बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा तथा जहां सदस्य अपनी राय में बराबर—बराबर विभाजित है तो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत द्वितीयक या निर्णायक होगा.

73. किसी विनिश्चिय में परिवर्तन या पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं होगीः—

ग्राम न्यायालय को उसके द्वारा पारित किसी आदेश को रद्द करने, पुनरीक्षित करने या उसमें परिवर्तन की शक्ति नहीं होगी, किन्तु किसी आदेश मे आकस्मिक चूक या लोप के कारण उद्भूत लिपिकीय या लेखन की त्रुटियों को किसी भी समय ग्राम न्यायालय द्वारा या तो अपनी स्वयं की प्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर सुधारा जा सकेगा.

74. सदस्य का पद ग्रहण करने से पूर्व घोषणा—पत्र का प्रस्तुत किया जानाः—

प्रत्येक सदस्य को ग्राम न्यायालय के सदस्य का पद ग्रहण करने से पूर्व जिल के कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष इन नियमों से संलग्न प्ररूप—दस में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा.

75. निरीक्षणः—

(1) कोई जिला न्यायाधीस किसी ग्राम न्यायालय के निरीक्षण के लिए और ग्राम न्यायालय के सदस्यो को अधिनियम तथा नियमों के अधीन उनके कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन करने के लिए मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए किसी न्यायिक अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा.
(2) ऐसे न्यायिक अधिकारी द्वारा एक रिर्पोट जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जाएगी तथा जिला न्यायाधीश समय—समय पर, ऐसे निदेश जेसे वह उचित समझे, ग्राम न्यायालय को जारी कर सकेगा.

76. लेखाओं का रजिस्टर :—

(1) ग्राम न्यायालय द्वारा जुर्माना, फीस या अन्य लेखे प्राप्त समस्त रकम उस न्यायालय की निधि के रूप में रहेगी और ग्राम न्यायालय द्वारा उसके कृत्यों के पालन मे उसका उपयोग किया जा सकेगा. प्रत्येक ग्राम न्यायालय प्राप्तियों तथा व्यय के लिए इन नियमों में विहित रीति में इन नियमों से संलग्न रजिस्टर तथा प्ररूप रखेगा. रजिस्टर का उपयोग करने से पूर्व उसकी जिल्दबंदी की जाएगी और पृष्ठों को क्रमांकित किया जाएगा. उनमें किये गये किसी सुधार पर न्यायालय सहायक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे और ग्राम न्यायालय के न्यायालय सहायक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उन लेखाओं को बनाए रखें.
(2) ग्राम न्यायालय को देय किसी रकम को पर्याप्त कारण के बिना शोध्य रखना अनुज्ञात नही किया जाएगा. उस दशा में, जब ऐसी रकम, वसूली योग्य प्रतीत नहीं होती हो तो उसे ग्राम न्यायालय के निर्विरोध अनुमोदन से बट्टे खाते डाला जा सकेगा.
(3) ग्राम न्यायालय कोष से कोई भी रकम तब तक नही निकाली जाएगी जब तक कि तुरन्त उपयोग के लिए अपेक्षित न हो, एक सव्यवहार में निकाली जाने वाले अधिकतम रकम ऐसी होगी, जैसा कि ग्राम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाए, बिना खर्च किया हुआ अतिशेष यदि कोई हो, जो 200/— रूपये से अधिक नहीं हो, न्यायालय सहायक के पास रखा जा सकता हे और उससे अधिक रकम किसी राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक, पोस्ट आफिस में बचत खाते में

जमा की जाएगी. ऐसा बचत खाता प्रधान और न्यायालय सहायक द्वारा संबंधित ग्राम न्यायालय के नाम से खोला जाएगा और दोनों के द्वारा सयुक्त रूप से प्रचालित किया जाएगा. समस्त रकम उनके संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन चैक, आहरण स्लिप द्वारा निकाली जाएगी.

77. ग्राम न्यायालय में फीस, जुर्माना या किसी अन्य रूप में प्राप्त प्रत्येक रकम के लिए प्ररूप–

ग्यारह में एक रसीद तैयार की जाएगी और यह दो प्रतियों में होगी. द्वितीय कापी प्रथम कापी की कार्बन कापी होगी. मूल कापी, भुगतान करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी और कार्बन कॉपी न्यायालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी.